

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013पार्ट

जयपुर, दिनांक: 12/8/21

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव तीन चरणों में करवाये जा रहे हैं। अतः प्रथम चरण चुनाव दिनांक 26.8.2021(गुरुवार), द्वितीय चरण चुनाव 29.8.2021(रविवार), तृतीय चरण चुनाव 1.9.2021(बुधवार), मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से.

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकाल

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2020/II/ 4091

दिनांक: 24.08.21

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर एवं सिरोही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग